न्यायालय तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जनपद पीलीभीत।

सत्र परीक्षण सं0–456/2012

राज्य प्रति सूरजपाल

मु0अ0सं0–177/2012
धारा–395, 397, 412 भा.दं.सं.
थाना–गजरौला, जिला पीलीभीत।

कमशः

<u>दिनांक 07.03.2020 लंचवाद</u>

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 27.02.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली को पत्र लिख कर अभियुक्त सूरजपाल को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए अनुरोध पत्र मय गैर जमानतीय वारण्ट व धारा 82, 83 दं.प्र.सं. के नोटिस के साथ भेजा गया था तथा उसकी कापी आई, जी. जोन बरेली व डी.जी.पी. लखनऊ को भी भेजी गयी थी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में थाना गजरौला की पुलिस को तामीला के दौरान अभियुक्त का कही कोई पता नहीं चल पा रहा है, न ही उसके परिवार का पता चल पा रहा है। तथा इस सम्बंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें कथन किया है कि महोदय निवेदन है कि अभियुक्त सूरजपाल पुत्र होरीलाल निवासी धर्मपुर थाना हाफिजगंज बरेली के सम्बंध में गैर जमानतीय वारण्ट में दबिश दी गयी तो दस्तयाब नहीं हुआ। धारा 82 दं.प्र.सं. की कार्यवाही लोकल पुलिस एस.आई. श्री पवन सिंह कां0 मनोज कुमार कां0 अनिल कुमार थाना हाफिजगंज बरेली के सामने अभियुक्त के दरवाजे पर चस्पा किया धारा 83 दं.प्र.सं. में अभियुक्त के मकान पर ताला लगा था इस लिये पूर्ण नहीं हो सकी। इस आशय की रिपोर्ट स्थानीय थाना पुलिस द्वारा दी गयी है।

चूंकि अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है। अभियुक्त काफी लम्बे समय से गैर हाजिर चल रहा है। अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। इसलिए अभियुक्त के खिलाफ धारा 299 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी थी। पत्रावली में साक्षी सी0डब्लू0–1 के रूप में कां0 1329 मो0 हासिम मलिक का बयान अंकित किया गया है। जिसमें उक्त गवाह ने अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना से इन्कार किया तथा अभियुक्त को फरार घोषित कर अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारण्ट जारी किये जाने का अनुरोध किया है। अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। साक्षी से जिरह जारी है।

चूंकि अभियुक्त काफी लम्बे समय से अनुपस्थित है। निकट भविष्य में अभियुक्त के मिलने की सम्भावना नही है। इसलिए उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस सम्बंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को अभियुक्त की उपस्थिति हेतु उसके विरूद्ध स्थायी वारन्ट के तामीला हेतु पत्र लिखा जाये।

अभियुक्त के जामिनान की पत्रावली पर अलग कर जामिनान के विरूद्ध वसूली वारण्ट निर्गत हो।

वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद पीलीभीत

Digitally signed by Amar Jeet Verma
Date: 2020.03.07 13:25:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court